पिछले 8 माह की सरकारी योजनाएं

पटवार,

ग्रामसेवक,

वनरक्षक

Scanned with CamScanner

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 को प्रारंभ किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021–22 के बजट में प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के लाभार्थियों की संख्या 8 करोड़ से बढ़ाकर 9 करोड़ करने की घोषणा की गई है।

उद्देश्य

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' की शुरुआत की गई। यह योजना एक धुआँ रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है।

क्रियान्वयन एजेंसी

इसका क्रियान्वयन 'पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय' कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं, को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था। किंतु 2018–19 के बजट में एलपीजी कनेक्शन 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ परिवार कर दिया गया था।
- उज्ज्वला 2.0 के तहत उन निम्न आय वाले परिवारों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाना है, जिन्हें पहले चरण में शामिल नहीं किया गया था।
- उज्जवला 2.0 के तहत जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ पहला रीफिल और हॉटप्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
- उज्जवला 2.0 में प्रवासियों को राशन कार्ड या निवास प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिये ₹1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- इस योजना के तहत कनेक्शनों को परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जाता है।
- इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत भारत सरकार बीपीएल परिवारों को स्टोव खरीदने और पहली बार सिलेंडर भरवाने पर आने वाले खर्च को अदा करने के लिये किस्तों की सुविधा भी प्रदान कर रही थी।
- पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श द्वारा की जाती है।
- आवेदक 18 वर्ष की आयु से ऊपर की महिला होनी चाहिये।
- आवेदक एक बीपीएल कार्डधारक ग्रामीण निवासी होनी चाहिये।
- महिला आवेदक का सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिये देश भर में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता होना चाहिये।
- आवेदक परिवार के घर पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिये।
- आवेदक द्वारा दी गई पूरी जानकारी को सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 (SECC-2011) डेटा से मिलाया जाएगा तथा उसके पश्चात् ही यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक योजना का पात्र है या नहीं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

चर्चा में क्यों?

9 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त के रूप में 9.75 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लगभग ₹19,500 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई।

उद्देश्य

इसका उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों को निवेश और अन्य ज़रूरतों के लिये सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना है। इससे उन्हें फसल चक्र पूर्ण होने से पूर्व कुछ सहायता प्राप्त हो सके।

क्रियान्वयन एजेंसी

इसका क्रियान्वयन भारत सरकार का 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के लाभार्थी की पहचान राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी।
- इस योजना का लाभ संस्थागत भूमि धारकों को प्राप्त नहीं होगा।
- सभी आयकर दाता तथा ₹10 हज़ार से ज़्यादा मासिक वेतन प्राप्त करने वाले इस योजना के दायरे से बाहर हैं।
- इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह आय सहायता ₹2,000 की तीन समान किस्तों में 4 महीनों के अंतराल पर लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के ज़रिये सीधे ही हस्तांतरित कर दी जाएगी।

Scanned with CamScanner

- यह शत्-प्रतिशत केंद्र पोषित योजना है जिसका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
- पति-पत्नी या पिता सरकारी नौकरी में है या पेंशनभोगी है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- राज्यों को लाभार्थियों की जानकारी इसके पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।

निपुण भारत

चर्चा में क्यों?

5 जुलाई, 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy-NIPUN) निपुण भारत का आरंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 29 जुलाई, 2020 को जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वन के लिये उठाए गए कदमों की श्रृंखला के तहत निपुण भारत का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है।
- निपुण भारत मिशन का विजन, शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव तैयार हो सके। जिससे प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 की पढ़ाई पूरी करने पर पढ़ाई, लिखाई और अंकों के ज्ञान में ज़रूरी निपुणता हासिल कर सके।
- निपुण भारत को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। और केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-स्कूल स्तर पर एक पांच स्तरीय क्रियान्वन तंत्र स्थापित किया जाएगा।

समग्र शिक्षा योजना 2.0

चर्चा में क्यों?

4 अगस्त, 2021 को कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा के लिये समग्र शिक्षा योजना को 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- संशोधित समग्र शिक्षा योजना को 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिये जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसका कुल वित्तीय परिव्यय ₹ 2,94,283.04 करोड़ है जिसमें ₹ 1,85,398.32 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा शामिल भी है।
- इस योजना में 11 लाख 60 हजार विद्यालय, 15 करोड़ 56 लाख से अधिक छात्र और सरकार एवं सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों के 57 लाख शिक्षक (पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक) शामिल हैं।
- समग्र शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है, जिसमें पूर्व-विद्यालय से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
- यह योजना स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता मानती है और यह शिक्षा के लिये सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4)के अनुसार है।
- यह योजना न केवल शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये सहायता प्रदान करती है, बल्कि इसको यह सुनिश्चित करने के लिये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया है कि सभी बच्चों की एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो और जिसमे उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं का भी ध्यान रखा गया हो और जो उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार भी बनाए।
- इस योजना के तहत प्रस्तावित स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख हस्तक्षेप इस प्रकार हैं: (i) बुनियादी ढांचे के विकास और प्रतिधारण सहित सार्वभौमिक पहुँच; (ii) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, (iii) लिंग और समानता; (iv) समावेशी शिक्षा; (v) गुणवत्ता और नवाचार; (vi) शिक्षक वेतन के लिये वित्तीय सहायता; (vii) डिजिटल पहल; (viii) वर्दी, पाठ्यपुस्तक आदि सहित शिक्षा के अधिकार (आरटीई) की पात्रता; (ix) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) के लिये सहायता; (x) व्यावसायिक शिक्षा; (xi) खेल और शारीरिक शिक्षा; (xii) शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण; (xiii) निगरानी; (xiv) कार्यक्रम प्रबंधन; और (xv) राष्ट्रीय घटक।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने हेतु 12 प्रमुख उपायों की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु

- 12 मई, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोविड-19 महामारी के समय में अर्थव्यवस्था में संभावित गिरावट को रोकने तथा आपदा को अवसर में बदलने के लिये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ₹20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई।
- आत्मनिर्भर भारत पाँच स्तंभों पर खड़ा होगा- अर्थव्यवस्था (Economy), अवसंरचना (Infrastructure), प्रौद्योगिकी (Technology), गतिशील जनांकिकी (Vibrant Demography) और मांग (Demand)।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित आर्थिक पैकेज पूर्व घोषणाओं तथा RBI द्वारा लिये गए निर्णयों को मिलाकर ₹20 लाख करोड़ का है, जो भारत के 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) के लगभग 10% के बराबर है। इस पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों (Land, Labour, Liquidity and Laws) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

आर्थिक पैकेज का पहला चरण

- ₹5.04 लाख करोड़ के प्रथम चरण में मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों को कर्ज देने, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा विद्युत वितरण कंपनियों को सहायता प्रदान करने की घोषणाएँ की गई।
- MSME की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। MSMEs को परिभाषित करने के लिये अब निवेश और वार्षिक कारोबार दोनों का उपयोग किया जाएगा।
- MSMEs क्षेत्र के लिये कोलेट्रल मुक्त ऋण की घोषणा की गई है जिससे लगभग 45 लाख लघु और मध्यम इकाइयों को लाभ प्राप्त होगा।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिये ₹30,000 करोड़ की विशेष तरलता योजना की घोषणा के साथ ₹200 करोड़ तक अनिवार्य सोर्सिंग का प्रस्ताव, RERA अधिनियम के तहत परियोजना में छूट, बिजली वितरण कंपनियों में ₹90,000 करोड़ का तरलता प्रवाह, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के अंतर्गत छोटी इकाइयों में कम आय वाले संगठित श्रमिकों की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सहायता में तीन महीनों के लिये वृद्धि, अनिवार्य EPF योगदान 12% से घटाकर 10% करना, वित्त वर्ष 2019-20 में आयकर रिटर्न की समय सीमा को 30 नवंबर, 2020 तक विस्तारित करना आदि प्रमुख घोषणाएँ की गई।

आर्थिक पैकेज का दूसरा चरण

- सभी प्रवासी मज़दूरों को मई और जून 2020 तक दो महीने के लिये खाद्यान्न की आपूर्ति की गई। साथ ही देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन के सार्वजनिक वितरण को सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग कर 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के तहत मार्च 2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त करना।
- भारत सरकार ने ₹50,000 से कम का शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों के मामले में शीघ्र भुगतान करने वाले लोगों को 12 महीने की अवधि के लिये 2 प्रतिशत की ब्याज छूट प्रदान की।
- स्ट्रीट वेंडर्स की ऋण तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये एक महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की घोषणा की गई। इस योजना से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित होंगे और ₹5,000 करोड़ उनके पास प्रवाहित होंगे।
- मध्यम आय समूह (MIG) के लिये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का मार्च 2021 तक विस्तार किये जाने से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ होगा और आवासन क्षेत्र में ₹70,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा।
- क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग ₹6000 करोड़ की राशि का प्रयोग वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि में करके रोज़गार के अवसर सृजित करने के प्रयास किये गए।
- ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की फसल ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा ₹30,000 करोड़ की अतिरिक्त पुनर्वित्तीयन सहायता प्रदान की गई।

आर्थिक पैकेज का तीसरा चरण

- किसानों हेतु कृषि द्वार (फार्म-गेट) अवसंरचना के विकास के लिये ₹1 लाख करोड़ के 'कृषि अवसंरचना कोष' के निर्माण की घोषणा की गई।
- सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (MFEs) के औपचारीकरण के साथ 'वैश्विक पहुँच वाली वोकल फॉर लोकल' योजना शुरू की गई।
- समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्यन और जलकृषि के एकीकृत, सतत् और समावेशी विकास के लिये 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' शुरू की गई।
- 'खुरपका-मुँहपका रोग' (Foot and Mouth Disease-FMD) और ब्रुसेलोसिस के लिये 'राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम' शुरू किया गया।
- डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन एवं पशुचारा आधारित आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से 'पशुपालन बुनियादी ढाँचा विकास कोष' स्थापित किया गया।
- इनके अलावा औषधीय खेती, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) द्वारा संचालित 'ऑपरेशन ग्रीन्स' के अंतर्गत सभी फलों और सब्जियों को शामिल करना, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन आदि की घोषणा की गई।

आर्थिक पैकेज का चौथा चरण

- चौथा चरण अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक क्षेत्रों, जैसे- कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों पर केंद्रित है।
- इस चरण में खाद्य संरक्षण के लिये विकिरण प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में सुविधाओं की स्थापना तथा सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश की वृद्धि के लिये 'व्यवहार्यता अंतराल अनुदान' (Viability Gap Funding-VGF) योजना को प्रयुक्त करने की बात की गई।
- 'भारतीय वायु क्षेत्र' (Indian Air Space) के उपयोग की दिशा में प्रतिबंधों को कम किया ताकि नागरिक उड्डयन में अधिक कुशलता आ सके।
- चिकित्सकीय उपयोग के समस्थानिकों के उत्पादन के लिये PPP मोड में अनुसंधान रिएक्टर्स की स्थापना, कोयले के आयात में कमी लाने तथा कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, कोयला क्षेत्र मे प्रतिस्पर्द्धा, पारदर्शिता एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि, कोयला क्षेत्र में 'राजस्व साझाकरण मॉडल' पर आधारित नवीन सुधारों को लागू करने तथा निवेशकों के लिये मानदंडों को अधिक उदार बनाने संबंधी घोषणाएँ की गई।

Scanned with CamScanner

- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये 'मेक इन इंडिया' पर बल देने के साथ ही 'आयुध निर्माणी बोर्ड' का निगमीकरण किया गया स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में FDI निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की गई।
- केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली विभागों/इकाइयों का निजीकरण करने की घोषणा की गई।

आर्थिक पैकेज का पाँचवा चरण

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की बढ़ती मांग को देखते हुए 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) के बजट परिव्यय में 65% की वृद्धि की गई।
- केंद्र सरकार ने वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए राज्यों को उनके राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) पर ऋण लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया।
- कोविड-19 से जुड़े ऋण को इनसॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं माना जाएगा और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अगले एक वर्ष के लिये दिवालियापन से जुड़ी कोई कार्रवाई नहीं शुरू की जाएगी।
- केंद्रीय वित्तमंत्री ने हर ज़िले में संक्रामक रोगों के लिये विशेष अस्पताल तथा ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की बात कही।
- छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिये मनोदर्पण नामक एक पहल शुरू की गई।
- कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण हो रहे अकादमिक नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 'पीएम ई-विद्या' (PM e-Vidya) योजना के तहत छात्रों को विभिन्न माध्यमों के ज़रिये शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई गई।

सर्ब-पावर योजना

चर्चा में क्यों?

29 अक्तूबर, 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्त्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिये प्रोत्साहित करने हेतु 'सर्ब-पावर' (SERB-POWER) नामक एक योजना की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध 'विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड' (Science and Engineering Research Board-SERB) द्वारा लंबे समय से विज्ञान व इंजीनियरिंग अनुसंधान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करने के लिये एक योजना लागू करने पर विचार किया जा रहा था।
- इस योजना के निम्नलिखित दो घटक होंगे- सर्ब-पावर फैलोशिप और सर्ब-पावर शोध अनुदान।
- सर्ब-पावर फेलोशिप का लक्ष्य 35-55 वर्ष आयु वर्ग की महिला शोधकर्त्ताओं पर केंद्रित होगा, इसके तहत प्रतिवर्ष 25 शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान की जाएगी, हालाँकि किसी भी दिये गए समय में इनकी संख्या 75 से अधिक नहीं होगी।
- इसके तहत शोधार्थियों को नियमित आय के साथ प्रतिमाह ₹15,000 की फेलोशिप, ₹10 लाख/प्रतिवर्ष शोध अनुदान और ₹90,000 प्रतिवर्ष अतिरिक्त खर्च के रूप में दिये जाएंगे।
- यह फेलोशिप किसी शोधार्थी को उसके पूरे कॅरियर (Career) में एक बार ही दी जाएगी और इसकी अवधि तीन वर्ष (बगैर किसी विस्तार की संभावना के) होगी।

आयुष्मान सहकार योजना

चर्चा में क्यों?

19 अक्तूबर, 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शीर्ष स्वायत्त विकास वित्त संस्थान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने सहकारी समितियों द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने के लिये आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत NCDC द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएँ स्थापित करने के लिये सहकारी समितियों को कुल ₹ 10,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा।
- 'आयुष्मान सहकार योजना' की अवधारणा मुख्य तौर पर केरल मॉडल पर आधारित है, जहाँ सहकारी समितियों ने केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- NCDC की यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही अपने सभी आयामों- स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य सेवा के लिये संस्थानों, प्रौद्योगिकियों तक पहुँच, मानव संसाधन विकास, किसानों हेतु सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ इत्यादि को सम्मिलित करती है।
- इसमें अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा एवं समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों जैसे घटकों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है।

जल जीवन मिशन (शहरी)

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी जल जीवन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।

उद्देश्य

इसका उद्देश्य सभी 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना है।

Scanned with CamScanner

क्रियान्वयन एजेंसी

जल जीवन मिशन (शहरी) का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- बजट में घोषणा की गई है कि 5 वर्ष में ₹2.87 लाख करोड़ के परिव्यय से इस मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा।
- सतत ताजे जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिये जल निकायों का नवीकरण और बाढ़ के प्रभाव को कम करने एवं एक शहरी जलभर प्रबंधन योजना के माध्यम से सुविधा मूल्य बढाने के लिये हरित स्थानों एवं स्पंज शहरों का निर्माण इस मिशन के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं।
- जेजेएम(यू) जल निकायों एवं जल संरक्षण संबंधित उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रत्येक शहर के लिये शहर जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। वहीं संस्थागत तंत्र के विकास के साथ फिर से उपयोग किए जाने वाले पानी से जल की 20 फीसदी मांग को पूरा करेगा।
- जल के क्षेत्र में नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिये एक जल प्रौद्योगिकी उप-मिशन प्रस्तावित है।
- जल संरक्षण को लेकर आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिये सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान प्रस्तावित है।
- शहरों में पेय जल सर्वेक्षण का संचालन किया जाएगा। इस चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से शहरों में जल का समान वितरण, अपशिष्ट जल का फिर से उपयोग और मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ जल निकायों के मानचित्रण को सुनिश्चित किया जाएगा।
- शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने और शहरों की जल सुरक्षा पर ध्यान देना इस मिशन का एक सुधार एजेंडा है। इन प्रमुख सुधारों में गैर-राजस्व जल को 20 फीसदी से कम करना, उपचारित उपयोग किए जल के पुनर्चक्रण से शहर की कुल जल मांग का कम से कम 20 फीसदी और राज्य स्तर पर औद्योगिक जल की मांग का 40 फीसदी पूरा करना शामिल हैं। इसके अलावा दोहरी पाइपलाइन प्रणाली, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट्स, नई इमारतों में वाई-फाई संबंधी बुनियादी ढांचा, पर्याप्त शहरी नियोजन के माध्यम से भूमि मूल्य एवं उपयोग दक्षता में सुधार, शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान, नगरपालिका बॉन्ड जारी कर धन जुटाना और जल निकायों के नवीकरण भी शामिल हैं।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने के लिये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिये यह अनिवार्य है कि वे अपने कुल परियोजना निधि आवंटन में न्यूनतम 10 फीसदी पीपीपी परियोजनों को शामिल करें।
- इस मिशन के अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशों का 100 फीसदी और उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की परियोजनाओं का 90 फीसदी वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा होगा।
- एक लाख से कम आबादी वाले शहरों का 50 फीसदी और एक लाख से 10 लाख आबादी के बीच वाले शहरों का एक-तिहाई वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। इनके अलावा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की परियोजनाओं के लिये केंद्रीय निधि से 25 फीसदी आवंटन होगा।
- मिशन की निगरानी एक प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी, जिस पर प्रगति और आउटपुट-आउटकम के साथ लाभार्थी प्रतिक्रिया की निगरानी की जाएगी।
- सरकार की ओर से परियोजनाओं के लिये वित्त पोषण तीन किस्तों- 20 : 40 : 40 में होगा। इनमें तीसरी किस्त परिणाम प्राप्त करने के बाद मिलेगी।

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड

चर्चा में क्यों?

जनवरी, 2021 तक एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना में 32 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शामिल हो गए हैं।

क्रियान्वयन एजेंसी

इस योजना का क्रियान्वयन 'केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' द्वारा किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- यह योजना संपूर्ण देश में 'खाद्य सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी' उपलब्ध कराती है।
- यह 'खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है।
- इस योजना के लिये सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है तथा 'पॉइंट ऑफ सेल' मशीन से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
- इस योजना में गरीब, मज़दूर और ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोज़गार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं।
- यह सुविधा अब 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों- आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मिज़ोरम, ओडिशा, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नगालैंड, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और तमिलनाडु तथा अरुणाचल प्रदेश में शुरू हो गई है।
- NFSA के अंतर्गत ऐसे राशन कार्ड जिनसे पिछले 6 महीनों में कम-से-कम एक आधार प्राधिकृत लेनदेन हुआ है वे सभी इस योजना के अंतर्गत नेशनल पोर्टेबिलिटी लेनदेन के लिये पात्र होंगे।

Scanned with CamScanner

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना 2020-21

चर्चा में क्यों?

अक्तूबर 2020 में सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना 2020-21 की छठी श्रृंखला के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड जारी किये गए। अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी।

उद्देश्य

- सोने की भौतिक मांग को कम करना।
- प्रतिवर्ष निवेश के उद्देश्य से आयात होने वाले सोने के एक हिस्से को वित्तीय बचत में परिवर्तित करना।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) की विशेषताएँ

- सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड 2020-21 के नाम से ये बॉण्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाएंगे।
- इनकी बिक्री विभिन्न व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों जैसे निकायों तक ही सीमित रहेगी।
- SGB को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा। इनकी 8 वर्ष की समयावधि होगी और पाँच वर्ष के पश्चात् इससे बाहर निकलने का विकल्प रहेगा।
- व्यक्तियों और HUFs के लिये 4 किलोग्राम तथा ट्रस्ट एवं इसी तरह के निकायों के लिये 20 किलोग्राम प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) की अधिकतम सीमा होगी।
- SGB की बिक्री अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के ज़रिये की जाएगी।
- बॉण्ड का मूल्य भारतीय रुपये में तय किया जाएगा।
- आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर अदा करना होगा।

फाइव स्टार विलेज स्कीम

चर्चा में क्यों?

सितंबर 2020 में भारतीय डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिये 'फाइव स्टार विलेज स्कीम' की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- फाइव स्टार विलेज स्कीम के तहत सभी डाक उत्पादों एवं सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराके उनका विपणन एवं प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
- भारतीय डाक विभाग के शाखा कार्यालय ग्रामीणों की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे।
- इस स्कीम में शामिल योजनाएँ हैं- 1. बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा खाते, एनएससी/केवीपी प्रमाण पत्र; 2. सुकन्या समृद्धि खाते/पीपीएफ खाते; 3. वित्तपोषित डाकघर बचत खाता, भारतीय डाक पेमेंट बैंक खाते; 4. पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी/ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी; 5. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता/प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता।
- यदि कोई गाँव उपरोक्त सूची में से चार योजनाओं के लिये सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करता है तो उस गाँव को 4-स्टार दर्जा मिल जाएगा और यदि कोई गाँव तीन योजनाओं को पूरा करता है तो उस गाँव को 3-स्टार दर्जा दिया जाएगा।
- इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र से की गई है, इसके बाद यहाँ के अनुभव के आधार पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान प्रत्येक ज़िले के कुल 50 गाँवों को शामिल किया जाएगा।
- भारतीय डाक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय इस योजना में शामिल किये जाने वाले गाँवों की पहचान करेंगे। इस योजना को पाँच ग्रामीण डाक सेवकों की टीम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिन्हें डाक विभाग के सभी उत्पादों, बचत एवं बीमा योजनाओं के विपणन के लिये एक गाँव सौंपा जाएगा।
- इस टीम का नेतृत्त्व संबंधित शाखा कार्यालय के शाखा पोस्ट मास्टर करेंगे।
- डाक निरीक्षक दैनिक आधार पर टीम की प्रगति पर व्यक्तिगत निगरानी रखेंगे।
- ग्रामीण डाक सेवकों की टीम सभी पात्र ग्रामीणों को कवर करते हुए सभी योजनाओं के बारे में घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी।
- भारतीय डाक शाखा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित करके व्यापक प्रचार किया जाएगा।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

चर्चा में क्यों?

25 सितंबर, 2020 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) का स्थापना दिवस मनाया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के माध्यम से अब तक लगभग 10.80 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर लगभग 6.28 लाख युवाओं को सफलतापूर्वक रोज़गार से जोड़ा गया है (9 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)।
- इस अवसर पर 'एग्रीप्रेन्योरशिप प्रोग्राम' का उद्घाटन किया गया तथा इस कार्यक्रम के दौरान कैप्टिव इम्प्लॉयमेंट, एकीकृत कृषि क्लस्टर के प्रोत्साहन के लिये दिशा-निर्देश और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के उम्मीदवारों की सफलता की कहानियों के संग्रह का विमोचन किया गया।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के स्थापना दिवस को 'कौशल से कल बदलेंगे' कार्यक्रम के रूप में मनाया गया।

Scanned with CamScanner

- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मज़दूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक मज़दूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिये की गई पहलों में से एक है।

नेशनल इनीशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट-निष्ठा

चर्चा में क्यों?

16 जुलाई, 2020 को निष्ठा कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश के एसआरजी के लिये पहला ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा मंत्रालय ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिये एक राष्ट्रीय मिशन 'नेशनल इनीशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट (निष्ठा) कार्यक्रम आरंभ किया।
- निष्ठा दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- इसे प्राथमिक स्तर पर लर्निंग आउटकम में सुधार के लिये लॉन्च किया गया है।
- इस विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिये शिक्षकों को प्रेरित और प्रशिक्षित करना है।
- यह प्रथम बार हुआ है कि सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किये गए हैं।
- राज्य और संघ राज्यक्षेत्र निष्ठा से अपेक्षित परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के संसाधनों और व्यक्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं जिससे प्रशिक्षण मॉड्यूल और ज़्यादा प्रासंगिक बन जाए।
- इस एकीकृत कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ शैक्षिक खेल और क्विज, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षण, प्रेरक बातचीत, टीम निर्माण, स्कूल आधारित मूल्यांकन की तैयारी, आंतरिक सतत प्रतिक्रिया तंत्र, ऑनलाइन निगरानी और समर्थन प्रणाली, प्रशिक्षण की आवश्यकता और प्रभाव का विश्लेषण सहित मॉड्यूल आधारित गतिविधियाँ हैं।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य लगभग 42 लाख प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करना है। इसमें सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और स्कूल प्रमुख, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (SCERTs) और ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) के संकाय सदस्य तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ब्लॉक संसाधन समन्वयक और क्लस्टर संसाधन समन्वयक का क्षमता निर्माण करना है।
- इसके तहत शिक्षकों में योग्यता-आधारित शिक्षण एवं परीक्षण, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, स्कूलों में सुरक्षा और व्यक्तिगत-सामाजिक गुण आदि से संबंधित जागरूकता और कौशल विकास करना है।
- इसके तहत राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा चयनित की रिसोर्स पर्सन्स (KRPs) और स्टेट रिसोर्स पर्सन्स (SRPs) द्वारा सीधे तौर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), राष्ट्रीय प्रशिक्षण शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (NIEPA), केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), नवोदय विद्यालय समिति (NVS), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CSBE) और गैर-सरकारी संगठन द्वारा चिह्नित किये गए 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन्स (NPRs) द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी के चलते प्रवासी मज़दूरों के समक्ष उत्पन्न रोज़गार की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून, 2020 को 'गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के खगड़िया ज़िले के ग्राम तेलिहार से की गई। यह 125 दिनों का अभियान था, जिसे मिशन मोड में संचालित किया गया।
- इस अभियान में छः राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा ओडिशा) को शामिल किया गया।
- इस अभियान के लिये 116 ज़िलों को चुना गया है, जिसमें 27 आकांक्षी ज़िले भी शामिल थे।
- इस कार्यक्रम में शामिल छः राज्यों के 116 ज़िलों के गाँव कॉमन सर्विस सेंटर तथा 'कृषि विज्ञान केंद्रों' के माध्यम से शामिल हुए, जिन्होंने कोरोना के कारण लागू शारीरिक दूरी के मानदंडों को भी ध्यान रखा।
- यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का समन्वित प्रयास है, जिसमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन रेलवे, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सीमा सड़क संगठन, दूरसंचार तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शामिल हैं।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2020 में आरंभ की गई इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में गली-मोहल्ले में फेरी लगाकर और रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को कोविड-19 की वजह से बंद हुए अपने कारोबार को फिर से चालू करने में मदद मिलेगी।

Scanned with CamScanner

क्रियान्वयन एजेंसी

इसका क्रियान्वयन केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत दुकानदार और छोटे कारोबारी अथवा रेहड़ी-पटरी विक्रेता (Street Vendor) ₹10,000 तक की कार्यशील पूंजी का ऋण ले सकते हैं।
- इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे।
- ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की ज़मानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होगी।
- कर्ज़ का समय पर या उससे पहले भुगतान करने पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी जिसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत छमाही आधार पर कर्ज़ लेने वाले के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
- पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई जुर्माना लागू नहीं होगा।
- यदि कर्ज़दार किस्तों का भुगतान समय पर या समय से पहले करता है तो मंत्रालय उनकी विश्वसनीयता सूचकांक तैयार करेगा जिसके आधार पर वह ₹20,000 या उससे अधिक का सावधि ऋण हासिल करने का पात्र होगा।
- इस योजना के लिये सरकार द्वारा ₹5,000 करोड़ की राशि मंज़ूर की गई है।
- इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक है।
- इस योजना को लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
- इस तरह के ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह बैंकों द्वारा प्रदान किये जाएंगे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

चर्चा में क्यों?

मार्च 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा किये जाने के पश्चात यह योजना आरंभ की गई। हाल हो में इसके तहत पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2021 तक के लिये बढ़ा दिया गया है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य देश की सबसे गरीब आबादी तक कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान भोजन और धनराशि पहुँचाना है जिससे उनकी आवश्यकता पूर्ति हो सके और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
- इस योजना में भारत सरकार ने गरीबों के आर्थिक, स्वास्थ्य और खाद्य संबंधी संकट को कम करने का उपाय किया है।

क्रियान्वयन एजेंसी

इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की सहभागिता से किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत समाज के विभिन्न वर्गों के लिये अलग-अलग घोषणाएँ की गई हैं जिसमें पहले से संचालित योजनाओं का विस्तार भी सम्मिलित है।
- **पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना**
  - इसके तहत इस विपत्ति के दौरान तीन महीनों तक गरीब परिवारों का खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई।
  - इस योजना के तहत देश की लगभग दो-तिहाई आबादी जिसके तहत लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को कवर किया गया।
  - इसमें से प्रत्येक लाभार्थी को तीन महीनों के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न दिया गया।
  - 8 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि जुलाई से नवंबर, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय किया।
  - इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम दाल मुफ्त में दी गई।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 'पीएम किसान योजना' की वर्ष 2020-21 में देय ₹2,000 की पहली किस्त अप्रैल माह में ही किसानों को प्रदान की गई।
- इसके तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की कुल 20.40 करोड़ महिला खाताधारकों को तीन महीनों के दौरान प्रति माह ₹500 की अनुग्रह राशि दी गई।
- पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत तीन महीनों में 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिये गए। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की सहायता के लिये सरकार तीन महीनों के दौरान कठिनाइयों से निपटने के लिये उन्हें ₹1,000 दिये गए।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों व सफाई कर्मियों के लिये बीमा योजना में–
  - सफाई कर्मचारी, वार्ड-बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्त्ता, सहायक स्वास्थ्य कर्मी (पैरामेडिक्स), टेक्निशियन, डॉक्टर और विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता एक विशेष बीमा योजना के तहत बीमा कवर पाएंगे।
  - कोविड-19 मरीज़ों का इलाज करते समय किसी भी स्वास्थ्य प्रोफेशनल के साथ दुर्घटना होने पर उन्हें योजना के तहत ₹50 लाख का मुआवज़ा दिये जाने का प्रावधान किया गया।

Scanned with CamScanner

- सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, वेलनेस सेंटरों और केंद्र के साथ-साथ राज्यों के अस्पतालों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाना तय किया गया।
- इस महामारी से लड़ने के लिये लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की गई।

- पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 1 अप्रैल, 2020 से मनरेगा में मज़दूरी राशि ₹20 की बढ़ोतरी की गई।

सुपोषित माँ अभियान

चर्चा में क्यों?

29 फरवरी, 2020 को लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिड़ला द्वारा 'सुपोषित माँ' अभियान आरंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 'कुपोषण मुक्त भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना है। यह अभियान गर्भवती महिलाओं और लड़कियों को पोषण सहायता प्रदान करेगा। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण में योगदान देगा।

प्रमुख बिंदु

- 'सुपोषित माँ अभियान' का मुख्य उद्देश्य नवजात और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखना है।
- इस अभियान के अनुसार 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिये पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा।
- इसमें माँ और बच्चे की स्वास्थ्य, चिकित्सा, जाँच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों का ध्यान रखा जाएगा।
- यह अभियान गर्भवती माताओं और लड़कियों की पोषण सहायता से संबंधित है। इस अभियान के माध्यम से न केवल गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाएगी बल्कि नवजात शिशु भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
- सुपोषित माँ अभियान में एक परिवार से एक गर्भवती महिला को शामिल किया जाएगा।
- अभियान के पहले चरण में 1,000 गर्भवती महिलाओं में से प्रत्येक को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की एक किट प्रदान की जाएगी।
- इस किट में गेहूँ, चना, मक्का और बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, बड़ी सोयबीन, घी, मूंगफली, भुने हुए चने, खजूर और चावल शामिल होंगे।
- गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- यह वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये एक एकीकृत बहुमंत्रालयी मिशन है।
- पोषण अभियान का प्रमुख उद्देश्य आँगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके भारत के चिह्नित ज़िलों में बौनापन को कम करना है।
- इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद माताओं एवं उनके बच्चों हेतु समग्र विकास तथा पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है।

अटल भूजल योजना

चर्चा में क्यों?

25 दिसंबर, 2019 को निम्न भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिये 'अटल भूजल योजना' आरंभ की गई।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य चिह्नित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों- गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जनभागीदारी के माध्यम से भू-जल प्रबंधन में सुधार लाना है।
- इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 ज़िलों में 8353 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- यह योजना मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देते हुए ग्राम पंचायतों में भू-जल प्रबंधन तथा व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देगी।

क्रियान्वयन एजेंसी

अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन 'जल शक्ति मंत्रालय' द्वारा किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का कुल परिव्यय ₹6000 करोड़ है तथा यह पाँच वर्षों की अवधि (2020-21 से 2024-25) के लिये लागू की जाएगी।
- ₹6000 करोड़ के कुल परिव्यय में 50 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा, जिसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी।
- शेष 50 प्रतिशत नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों को विश्व बैंक का संपूर्ण ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
- संस्थागत मज़बूती और क्षमता निर्माण घटक:
  - राज्यों में स्थायी भू-जल प्रबंधन के लिये संस्थागत प्रबंधनों को मज़बूत बनाने के लिये नेटवर्क निगरानी और क्षमता निर्माण में सुधार तथा जल उपयोगकर्त्ता समूहों को मज़बूत बनाना।
  - डेटा विस्तार, जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना, मौजूदा योजनाओं के समन्वय के माध्यम से प्रबंधन प्रयासों को लागू करना।
- मांग पक्ष प्रबंधन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिये राज्यों को प्रोत्साहन देने हेतु घटक-
  - विभिन्न स्तरों पर हितधारकों के क्षमता निर्माण तथा भू-जल निगरानी नेटवर्क में सुधार के लिये संस्थागत मज़बूती से भू-जल डेटा भंडारण, विनिमय, विश्लेषण और विस्तार को बढ़ावा देना।
  - उन्नत और वास्तविक जल प्रबंधन से संबंधित उन्नत डेटाबेस तथा पंचायत स्तर पर सामुदायिक नेतृत्व के तहत जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना।

Scanned with CamScanner

- भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न मौजूदा और नई योजनाओं के समन्वय के माध्यम से जल सुरक्षा योजनाओं को लागू करना, ताकि सतत भू-जल प्रबंधन के लिये निधियों के न्यायसंगत और प्रभावी उपयोग में मदद मिल सके।
- सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधता आदि जैसे मांग पक्ष के उपायों पर ध्यान देते हुए उपलब्ध भू-जल संसाधनों का उचित उपयोग करना।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना

चर्चा में क्यों?

12 सितंबर, 2019 को लघु व सीमांत कृषकों हेतु पेंशन योजना के रूप में 'प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना' शुरू की गई। मार्च 2021 तक 21 लाख से अधिक किसान इसमें शामिल हो गए हैं।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य सीमांत एवं लघु किसानों को सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करना है।

क्रियान्वयन एजेंसी

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का क्रियान्वयन 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- पीएम किसान मान धन योजना के तहत किसान ₹55 से ₹200 प्रतिमाह (उम्र के अनुसार) अंशदान से 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3000 प्रतिमाह की न्यूनतम नियमित पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
- यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें किसान के योगदान की राशि के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
- इस योजना में शामिल होने के लिये किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
- लाभार्थी की मृत्यु होने पर (60 वर्ष के बाद) उसके जीवनसाथी को पेंशन का पचास प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते वह इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी न हो।
- 60 वर्ष से पहले लाभार्थी की मृत्यु होने पर (जब वह योगदान दे रहा हो) उसका जीवनसाथी इस योजना में नियमित योगदान देने का विकल्प चुन सकता है।
- योजना के अंतर्गत किसान यह विकल्प चुन सकता है कि उसके मासिक योगदान की राशि को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के अंतर्गत प्रदत्त राशि से सीधा काट लिया जाए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाएँ प्रदान करने के लिये गठित कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी किसान मासिक योगदान राशि जमा कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना

चर्चा में क्यों?

12 सितंबर, 2019 को छोटे दुकानदारों एवं खुदरा व्यापारियों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करने तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना शुरू की गई।

क्रियान्वयन एजेंसी

इस योजना के कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी जीवन बीमा निगम (LIC) है।

प्रमुख बिंदु

- वे सभी दुकानदार और खुदरा व्यापारी जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जिनका वार्षिक कारोबार ₹1.5 करोड़ तक है। वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- इस नई पेंशन योजना में लगभग 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे।
- इस योजना में 18-40 आयु वर्ग के व्यापारी शामिल हो सकते हैं।
- इस पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को ₹3000 मासिक दिये जाएंगे।
- यह एक समान पेंशन प्रीमियम योगदान योजना है जिसमें केंद्र सरकार लाभार्थी के खाते में एक समान राशि का योगदान करेगी।
- इस योजना में आवेदन करने हेतु लगभग 3,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) की स्थापना की गई है।

निर्विक योजना

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 भाषण के दौरान निर्विक योजना की घोषणा की।

उद्देश्य

निर्यातकों को उच्च बीमा कवर प्रदान करना तथा छोटे निर्यातकों के लिये प्रीमियम राशि कम करना। इसके साथ ही दावा निपटान प्रक्रिया को सरलीकृत बनाना।

क्रियान्वयन एजेंसी

इसका क्रियान्वयन 'वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय' के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 'भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC)' द्वारा किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 'निर्विक' को 'निर्यात ऋण बीमा योजना (ECIS)' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक बीमा गारंटी योजना है, जो 90 प्रतिशत मूलधन एवं ब्याज को समाविष्ट करेगी।
- इसमें प्री और पोस्ट शिपमेंट ऋण दोनों सम्मिलित होंगे।
- अब तक ECGC 60 प्रतिशत हानि तक की ऋण गारंटी प्रदान कर रही थी।
- इस योजना से निर्यातकों को ऋण उपलब्धता में वृद्धि होगी।
- इस योजना से निर्यातकों की बीमा लागत कम होगी तथा 'व्यापार सुगमता सूचकांक' में भारत का स्थान सुधरेगा।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस योजना के तहत प्रीमियम पर सब्सिडी देना प्रस्तावित किया है, जिसका भुगतान कुछ क्षेत्र के निर्यातकों द्वारा किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सितंबर 2019 में घोषणा की थी कि जेम्स, ज्वेलरी एवं डायमंड (GJD) क्षेत्र के ऋणियों (₹80 करोड़ से अधिक सीमा वाले) को 'निर्विक' के तहत उच्च प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- यह संवर्धित कवर है जो सुनिश्चित करेगा कि निर्यातकों के लिये विदेशी मुद्रा और रुपये में निर्यात ऋण की ब्याज़ दर क्रमशः 4% और 8% से कम हो।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत के तकनीकी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)' की घोषणा की गई।

उद्देश्य

भारत लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के तकनीकी वस्त्र का आयात करता है। इस आयात को कम करने तथा तकनीकी वस्त्रों में भारत को अग्रणी देश बनाने के लिये NTTM प्रारंभ किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके लिये बजट में ₹1,480 करोड़ के अनुमानित परिव्यय प्रस्तावित हैं।
- इसकी अवधि 4 वर्ष यानी 2020-21 से 2023-24 तक होगी।
- तकनीकी वस्त्रों का निर्माण सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा तकनीकी गुणवत्ता और आवश्यकता की पूर्ति के लिये किया जाता है।
- NTTM के चार घटक हैं-
  - घटक-I (अनुसंधान, नवाचार एवं विकास): इसके तहत ₹1000 करोड़ का परिव्यय किया जाएगा। इसमें कार्बन, फाइबर, अरामिड फाइबर, नाइलॉन फाइबर के स्तर पर मौलिक अनुसंधान और भू-टेक्सटाइल, कृषि-टेक्सटाइल, चिकित्सा-टेक्सटाइल, मोबाइल टेक्सटाइल, खेल-टेक्सटाइल के स्तर पर अनुप्रयोग अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  - घटक-II (निर्यात संवर्धन): इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के निर्यात को वर्ष 2020-21 तक ₹20,000 करोड़ करना है, जो वर्तमान में ₹14000 करोड़ है। साथ ही 2023-24 तक 10 प्रतिशत औसत वृद्धि सुनिश्चित करना है।
  - घटक-III (संवर्धन और विपणन विकास): भारत के तकनीकी वस्त्र बाज़ार का आकार 2024 तक 40 से 50 अरब डॉलर करना है। इसके लिये बाज़ार विकास, बाज़ार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और 'मेक इन इंडिया' का सहारा लिया जाएगा।
  - घटक-IV (शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास): यह मिशन उच्चतर इंजीनियर एवं प्रौद्योगिकी स्तर पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा, इसके लाभ अनुप्रयोग का दायरा इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, जलीय कृषि और डेयरी क्षेत्र तक बढ़ाया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना

क्रियान्वयन एजेंसी

इसका संचालन श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के पात्र 18-40 वर्ष की आयु समूह के घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईंट-भट्टा मज़दूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मज़दूर, खेतिहर मज़दूर, निर्माण मज़दूर, बीड़ी मज़दूर, हथकरघा मज़दूर, चमड़ा मज़दूर, ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में संलग्न ऐसे श्रमिक होंगे, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है।
- पात्र व्यक्ति को नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो तथा उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
- PM-SYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम ₹3,000 की निश्चित पेंशन मिलेगी।
- यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता (Subscriber) की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी (Spouse) को मिलेगी।
  - यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।
- अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से 'ऑटो डेबिट' (Auto-debit) सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। PM-SYM योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी।
- PM-SYM 50:50 के अनुपात के आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान (Age Specific Contribution) लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।
- 29 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्रों के कामगार को केवल ₹100 प्रतिमाह का अंशदान 60 वर्ष की उम्र तक करना होगा। 18 वर्ष की उम्र में इस योजना में शामिल होने वाले कामगार को सिर्फ ₹55 प्रतिमाह का अंशदान करना होगा।
- इसके तहत 24 दिसंबर, 2020 तक लगभग 44.74 लाख अभिदाता पंजीकृत हुए हैं।

Scanned with CamScanner